

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥  
बुधवार, 17 जनवरी, 1996 / भाग 4, 1917 ॥शक॥

संख्या. 235

### सदस्यों को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उपायुक्त पुलिस  
नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली से दिनांक: 15.1.96 को निम्नलिखित  
संज्ञाना दिनांक: 17.1.96 को प्राप्त हुई :-

- " मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी  
राज्यक्षेत्र की विधान सभा के माननीय सदस्य सर्वश्री मुकेश शर्मा,  
राज कुमार चौहान, टेक चन्द शर्मा, दीप चंद बंधु एवं जय किशन को  
उनके अन्य समर्थकों सहित आज अर्थात् 15.1.96 को पूर्वाह्न 11.40 बजे  
पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों  
की अवज्ञा करने के कारण पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के  
अंतर्गत नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उनके अन्य समर्थकों सहित उती दिन अर्थात् दिनांक 15.1.96  
को पूर्वाह्न 11.52 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा  
कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)

Wednesday, January, 17, 1996/Margh 04, 1917 (Saka)

No. 235

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following wireless message dated 15.01.1996 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Additional Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 17.01.1996 :-

"I have the honour to inform you that S/Sari Mukesh Sharma, Raj Kumar Chauhan, Tej Chand Sharma, Deep Chand Bandhu and Jai Kishan; Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of Police from Parliament Street, in front of Police Station, Parliament Street, New Delhi at 1140 hours today i.e. 15.01.96.

He was released at 1152 hours from Police Station Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 15.01.1996.

PINI GUPTA  
SECRETARY